मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २० सन् २०१९

मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य (संशोधन) विधेयक, २०१९

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.

२. धारा ७९ का लोप.

३. धारा ८० का लोप.

४. धारा ८१ का लोप.

५. धारा ८२ का लोप.

६. धारा ८३ का लोप.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २० सन् २०१९

मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य (संशोधन) विधेयक, २०१९

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट, १९४९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

धारा ७९ का लोप.

२. मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अधिनियम, १९४९ (क्रमांक ३६ सन् १९४९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ७९ का लोप किया जाए.

धारा ८० का लोप.

३. मूल अधिनियम की धारा ८० का लोप किया जाए.

धारा ८१ का लोप.

४. मूल अधिनियम की धारा ८१ का लोप किया जाए.

धारा ८२ का लोप.

५. मूल अधिनियम की धारा ८२ का लोप किया जाए.

धारा ८३ का लोप.

६. मूल अधिनियम की धारा ८३ का लोप किया जाए.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक ११५१/२०१७ विधिक निति के लिए विधि सेंटर विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में, जो कि भारत के उच्चतम न्यायालय में लंबित है, यह मुद्दा विभिन्न राज्यों और केन्द्रीय अधिनियमिति को समाप्त / संशोधन करने से संबंधित है, जहां कुष्ठ से पीड़ित व्यक्तियों के साथ विभेदकारी व्यवहार किया जाता है, जबकि कुष्ठ रोग अब एक साध्य रोग है. इस संबंध में मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अधिनियम, १९४९ (क्रमांक ३६ सन् १९४९) की धाराएं ७९ से ८३ चिन्हित की गयी हैं जो कुष्ठ रोगियों के संबंध में विभेदकारी उपबंध से संबंधित हैं. अतएव, यथोचित संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:
तारीख ११ जुलाई, २०१९.

तुलसीराम सिलावट
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अधिनियम, १९४९ (क्रमांक ३६ सन् १९४९) से उद्धरण.

* * * * *

धारा ७९. प्रत्येक प्राधिकृत चिकित्सा व्यवसायी यदि ऐसी वांछा की जाए, तथा पांच रुपए की फीस का संदाय हो जाने पर, किसी भी व्यक्ति की परीक्षा यह पता लगाने की दृष्ट से करेगा कि वह कुष्ठ से पीड़ित है अथवा नहीं और यदि ऐसी परीक्षा करने पर उसे यह पता चले कि वह व्यक्ति,—

(एक) कुष्ठ से पीडित नहीं है; या

(दो) ऐसे कुष्ठ से पीडित है जो असंक्रामक है; या

(तीन) उसका कुष्ठ ठीक हो गया है;

तो वह उसे उस आशय का एक प्रमाण-पत्र विहित प्ररूप में देगा

धारा ८०. (१) कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो यह जानता है कि वह कुष्ठ से पीड़ित है, जब तक कि किसी प्राधिकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा यह प्रमाणित नहीं कर दिया जाता है कि वह असंक्रामक है तथा कम से कम छः मास की कालावधि से असंक्रामक रहा है,—

(एक) शिक्षक, विद्यार्थी, डाक्टर, उपचारिका (नर्स), प्रसाविका (मिडवाइफ), आया या अर्दली, गृह-सेवक, निजी परिचारक के रूप में, या

(दो) किसी ऐसी अन्य हैसियत में, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति से प्रत्यक्ष तथा निरंतर संस्पर्श होता है या जिसमें बालकों से हानिकारक संस्पर्श अंतर्वलित होता है,

न तो स्वयं को लगाएगा और न कोई नियोजन प्रतिग्रहीत करेगा.

(२) कोई भी व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह कुष्ठ से पीड़ित है, उपधारा (१) में निर्दिष्ट की गई हैसियतों में से किसी भी हैसियत में उस समय तक न तो काम पर लगाएगा और न नियोजित करेगा जब तक कि उस व्यक्ति के पास धारा ७९ के अधीन प्रदान किया गया प्रमाण-पत्र न हो.

धारा ८१. (१) कोई व्यक्ति जो यह जानता है कि वह कुष्ठ से पीडित है—

(क) किसी विद्यालय, महाविद्यालय, खेल का मैदान या ऐसे अन्य स्थल पर उपस्थित नहीं होगा; या

(ख) किसी लोक या परिचालित वाचनालय से कोई पुस्तक नहीं लेगा या उसके उपयोग हेतु पुस्तक नहीं लाएगा या ली गई पुस्तक का उपयोग नहीं करेगा.

(२) कोई व्यक्ति, जिसकी देखभाल में ऐसा व्यक्ति है जो जानता है कि वह कुष्ठ से पीड़ित है, को उपधारा (१) द्वारा प्रतिषिद्ध कोई भी प्रतिबंधित कार्य करने की अनुमति नहीं देगा.

धारा ८२. सरकार, संचालक, स्वास्थ्य सेवायें की अनुशंसा पर, राज्य में किसी क्षेत्र को अधिसूचना द्वारा "पृथक्करण क्षेत्र" घोषित कर सकेगी, यदि उनका समाधान हो जाता है कि ऐसे क्षेत्र में स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कुष्ठ से पीड़ित व्यक्तियों के लिए पर्याप्त

पृथक्करण आवास उपलब्ध कराए गए हैं, या इनके लिए रखे गए हैं एवं इसी प्रयोजन के लिए पृथक रखा गया है, तब ऐसे क्षेत्र पर निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे:—

(एक) स्वास्थ्य अधिकारी, नोटिस द्वारा, किसी व्यक्ति को जो कुष्ठ से पीड़ित है एवं पृथक्करण क्षेत्र में निवास कर रहा हो, को जैसा नोटिस में विनिर्दिष्ट हो पृथक्करण आवास में हटा सकता है और जब तक प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित नहीं हो जाता कि वह अब संक्रामक नहीं है वहां रह सकता है;

(दो) नोटिस उसमें अनुपालन के लिये एक उचित कालावधि के लिए अनुज्ञात होगा;

(तीन) यदि कुष्ठ रोग से पीडित व्यक्ति अनुमति में दी गई अवधि के भीतर नोटिस का अनुपालन नहीं करता है, तो स्वास्थ्य अधिकारी बल का उपयोग करते हुए जो उद्देश्य के लिए यथोचित आवश्यक हो उसे अनिवार्य रूप से निर्दिष्ट पृथक्करण के लिए हटा सकता है;

(चार) स्वास्थ्य अधिकारी किसी व्यक्ति को जिसे पृथक्करण आवास में रोका गया हो, खुद को व्यस्त करने या धारा ७८ में निर्दिष्ट से भिन्न ऐसा रोजगार करने की अनुमति दे सकता है, यदि यह ऐसे किसी कार्य का प्रदर्शन न करता हो जो नियम में प्रतिबंधित हो;

(पांच) खंड (एक) में संदर्भित नोटिस उस व्यक्ति को दिया जा सकेगा, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति की देखभाल करता है, और उसके बाद पूर्व का यह कर्तव्य होगा कि वह कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति को नोटिस में निर्दिष्ट पृथक्करण आवास पर ले जाये;

परन्तु वह अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से प्रतिषिद्ध किसी कार्य में नहीं लगाएगा.

(छह) यदि कुष्ठ से पीड़ित कोई व्यक्ति इस सबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत स्वास्थ्य अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना, उसे उपलब्ध कराए गए पृथक्करण आवास से भागता है या छोड़ता है, तब ऐसा व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारन्ट के या सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किसी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किया जा सकेगा और साथ ही तत्काल ऐसे पृथक्करण आवास से हटाया जा सकेगा.

(सात) स्थानीय प्राधिकारी, कुष्ठ से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जो पृथक्करण आवास में रखे गए हैं, के लिए भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था करेगा, परन्तु कोई ऐसा व्यक्ति अपनी भोजन, क़पड़े और अन्य आवश्यकताओं की अपनी स्वयं की व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र होगा.

(आठ) यदि कोई व्यक्ति खण्ड (छह) के अधीन, कम से कम तीन पूर्व अवसरों पर उस खण्ड के अधीन गिरफ्तार होने तथा खण्ड के अधीन कार्रवाई होने के पश्चात् गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे, यदि चिकित्सा अधिकारी लिखित में ऐसा निदेश दे, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके पास किसी कारावास से संलग्न कुष्ठ अनुलग्नक में ऐसे समय तक निरूद्ध रखने का आदेश देने की शक्ति होगी, जब तक कि प्राधिकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्रमाणित न कर दिया जाए कि उसे संक्रमण नहीं है, और उसेक बाद तत्समय प्रवृत्त विधि के समस्त उपबंध, जहां तक संभव हो और ऐसे उपांतरण के साथ, यदि कोई हो, जैसा कि विहित किया जाए, ऐसे व्यक्ति पर लागू हों, जैसे कि वह ऐसी अवधि के लिए साधारण कारावास से दंडित किया गया था, जिसके लिए ऐसा निरोध आदेशित किया गया था.

यदि मजिस्ट्रेट ऐसे निरोध का आदेश नहीं देता है या यदि उसके द्वारा पारित किए गए निरोध के आदेश को बाद में, चाहे उसके स्वयं के द्वारा अन्य या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, रद्द कर दिया जाता है, तो व्यक्ति, जिसे यथास्थिति, गिरफ्तार किया गया हो या निरूद्ध किया गया हो, तत्काल उपर्युक्त पृथक्करण आवास से हटा दिया जाएगा.

धारा ८३. जहां इस संबंध में विहित किसी भी प्राधिकारी का यह विश्वास करने का कारण है, कि प्रमाण-पत्र, जैसा की धारा ७८ या धारा ८२ के खण्ड (एक) में संदर्भित किया गया है, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित किसी भी व्यक्ति के संबंध में जारी किया गया है, उसके बाद में संक्रामक होने के कारण सही नहीं रह गया है, ऐसा प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति से उस की पसंद के किसी प्राधिकारी चिकित्सा व्यवसायी से, उसके कुष्ठ की प्रकृति के संबंध में, अर्थात् क्या वह संक्रामक है अथवा नहीं, नवीन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकेगा.

जब तक यथापूर्वोक्त नवीन प्रमाण-पत्र ऐसी अवधि के भीतर, जैसी कि विहित की जाए, कुष्ठ पीड़ित व्यक्ति द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता एवं ऐसा प्रमाण-पत्र उसे असंक्रामक घोषित नहीं कर देता है, पहले जारी किया गया प्रमाण-पत्र, इस भाग में अंतर्विष्ट सभी उपबंधों के प्रयोजन के लिए रद्द कर दिया गया समझा जाएगा

* * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.